न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 32/2022

GCMS NO. : 2022/51

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1.हनुमानसिंह पुत्र धूलाराम जाति सीरवी निवासी बेरा रूपी देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.20/05/2022

उपस्थितः– 1. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 31/07/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की खातेदारी, पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम देवरिया, पटवार हल्का देवरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 28 रकबा 16.834 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 27 रकबा 9.5910 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 29 रकबा 21.3674 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 30 रकबा 2.1934 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 31 रकबा 4.8077 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, खसरा नमबर 40 रकबा 0.3076 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.1781 हैक्टयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.0324 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0890 हैक्टयर किस्म गै.मु. खड्डा, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.0162 हैक्टयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.3318 हैक्टयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.0081 गै.मु. टीबा, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.3193 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.5827 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादी अपने हक–हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। उक्त सम्पत्ति वादी के पिता धूलाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण में वादी के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी का नाम हड़मान पुत्र धूलाराम के नाम से नामान्तरणकरण दर्ज [illegible] या गया। जबकि वादी का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम हनुमानसिंह पुत्र धूलाराम है, जो वादी के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, [illegible] डायरी, पैनकार्ड, शैक्षणिक योग्यता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

प्रमाण पत्र आदि मे भी वादी का नाम हनुमानसिंह पुत्र धूलाराम दर्ज है। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है, जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे चली आ रही है। इस रोंग एन्टी की जानकारी दिनांक 16/05/2022 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो हल्का पटवारी ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरूस्त करवाने का कथन किया। जिसके सम्बन्ध में वादी की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति में उक्त रोंग एन्टी एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादी का नाम जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है। जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में वादी अपना सही एवं वास्तविक तथा दस्तोवजी नाम हनुमानसिंह पुत्र धूलाराम से दर्ज करवाने एवं इन्द्राज करवाने का अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशनियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहा है, न ही ऋण आदि व किसान कार्ड आदि बन रहा है। जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्त करवाने का कथन किया। इसलिए सहखातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है, इसलिए सहखातेदारान काश्तकारान को प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिबादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 16/05/2022 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन पर बमुकाम देवरिया, तहसील जैतारण, जिला पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद पेश है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि देवरिया के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) अनुसार दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध जमाबंदी अनुसार वादी के पिता फौत होने पर मौजा देवरिया के खसरा नम्बर 27,28,29,30,31,40,41,42,249,251,252,254,232 एवं 579 में धूलाराम के स्थान पर नन्दाराम, लिछमण, मोतीराम, हड़मान, मंगलाराम, पुनाराम पि0 धूलाराम केसी बेवा धूलाराम दर्ज किया गया था। जबकि वादी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा जारी पहचान-पत्र में वादी का नाम हनुमान सिंह पुत्र धूलाराम दर्ज है। मजमा-ए-आम में मौका रिपोर्ट अनुसार हड़मान पुत्र धूलाराम एवं हनुमान सिंह पुत्र धूलाराम जाति सीरवी एक ही व्यक्ति का होना है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी हनुमान सिंह पुत्र धूलाराम का एवं अन्य गवाह गुदडराम पुत्र पेमाराम के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शामिल मिसल है। उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. ग्राम देवरिया की जमाबन्दी संवत् 2050–2053 (प्रदर्श–12), संवत् 2074–2077 के खसरा नम्बर 249, 251, 252, 254 में 'हड़मान पुत्र धुलाराम' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम देवरिया की जमाबन्दी संवत् 2070–2073, 2074–2077 के खसरा नम्बर 232, 579 में 'हड़मान पुत्र धूलाराम' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। ग्राम देवरिया की जमाबंदी संवत् 2073–73 में अंकित नामान्तरकरण नोट संख्या 1571 दिनांक 15.01.2015 अनुसार खसरा संख्या 27,29,30,31,40,41,42,28 के लिए विनिमय से रतनलाल चेनाराम जगदीश पि0 लिछमण लछाई बेवा लिछमण 1/16 के स्थान पर हड़मान पुत्र धुलाराम 1/16 दर्ज किया गया। इसके उपरान्त ग्राम देवरिया की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खसरा नम्बर 27,29,30,31,40,41,42,28 में 'हड़मान पुत्र धुलाराम' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है।
2. वादी हनुमानसिंह पुत्र धुलाराम के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 के अनुसार वादी ने सशपथ कथन किया कि "वादग्रस्त आराजी में वादी अपने हक–हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त सम्पत्ति वादी के पिता धूलाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण में वादी के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले नाम हडमान पु. धूलाराम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। वादी का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम हनुमानसिंह पुत्र धूलाराम है। " अन्य शहादत में गवाह गुदडराम पुत्र पेमाराम निवासी बेरा लचेटो की ढीमडी देवरिया तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह गुदडराम ने अपने शपथ–पत्र पर सशपथ कथन किये कि "वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी भूमि है तथा वादी के पिता का देहान्त होने पर फौतेदगी नामान्तरण में वादी का नाम हड़मान पुत्र धूलाराम दर्ज कर दिया, जो गलत है। वादी का सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम हनुमानसिंह पुत्र धूलाराम है।"
3. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–1ए (जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी पहचान–पत्र), प्रदर्श–2ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–3ए (पेन कार्ड), प्रदर्श–4ए (राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड), प्रदर्श–5ए (भारतीय स्टेट बैंक पासबुक), प्रदर्श–6ए (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र) तथा प्रदर्श–7ए (जनआधार कार्ड) उक्त दस्तावेजो में वादी का नाम हनुमानसिंह पुत्र धुला राम है।
4. प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि प्रार्थी द्वारा उपलब्ध जमाबंदी अनुसार वादी के पिता फौत होने पर मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

देवरिया के खसरा नम्बर 27,28,29,30,31,40,41,42,249,251 ,252,254,232 एवं 579 में धूलाराम के स्थान पर नन्दाराम, लिछमण, मोतीराम, हड़मान, मंगलाराम, पुनाराम पि0 धूलाराम केसी बेवा धूलाराम दर्ज किया गया था। जबकि वादी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा जारी पहचान-पत्र में वादी का नाम हनुमान सिंह पुत्र धूलाराम दर्ज है। मजमा-ए-आम में मौका रिपोर्ट अनुसार हड़मान पुत्र धूलाराम एवं हनुमान सिंह पुत्र धूलाराम जाति सीरवी एक ही व्यक्ति का नाम है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादीगण के शपथ-पत्र एवं गवाह स्वयं वादी हनुमानसिंह पुत्र धूलाराम एवं अन्य गवाह गुदडराम पुत्र पेमाराम का शपथ-पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0890 हैक्टयर किस्म गै.मु. खड्डा, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.0162 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.3318 हैक्टयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.0081 गै.मु. टीबा, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.3193 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.5827 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल ग्राम ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया के भू-अभिलेख में वादी के पिता धूलाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तकरण में वादी का नाम हड़मान पुत्र धुलाराम दर्ज किया गया। वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 28 रकबा 16.834 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 27 रकबा 9.5910 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 29 रकबा 21.3674 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 30 रकबा 2.1934 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 31 रकबा 4.8077 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, खसरा नमबर 40 रकबा 0.3076 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.1781 हैक्टयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.0324 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा ग्राम ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया के भू-अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 1571 दिनांक 15. 01.2015 विनिमय से हड़मान पुत्र धुलाराम का नाम दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजात में प्रार्थी का दस्तावेजी नाम हनुमान सिंह पुत्र धुला राम दर्ज है एवं प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण द्वारा अपने जवाब दावा में वादी के दस्तावेजी नाम की घोषणा किये जाने बाबत् कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'हड़मान पुत्र धुलाराम' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर 'हनुमान सिंह पुत्र धुला राम' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: *आदेश* ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ... साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम देवरिया, पटवार हल्का देवरिया, भू-अभिलेख निरीक्षक ...वृत्त ...ा, तहसील जैतारण जिला पाली में

न्यायालय कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण राज.
Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

खसरा नम्बर 28 रकबा 16.834 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 27 रकबा 9.5910 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 29 रकबा 21.3674 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 30 रकबा 2.1934 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 31 रकबा 4.8077 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, खसरा नमबर 40 रकबा 0.3076 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.1781 हैक्टयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.0324 हैक्टयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0890 हैक्टयर किस्म गै.मु. खड्डा, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.0162 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.3318 हैक्टयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.0081 गै.मु. टीबा, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.3193 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.5827 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल के **भू–अभिलेख में** वादी का नाम ***हड़मान पुत्र धूलाराम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'हड़मान पुत्र धूलाराम'*** *के स्थान पर* ***'हनुमान सिंह पुत्र धुला राम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 31/07/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. हनुमानसिंह पुत्र धूलाराम
जाति सीरवी निवासी बेरा रूपी देवरिया
तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
अधिकारी जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0– 32/2022

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम देवरिया, पटवार हल्का देवरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 28 रकबा 16.834 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 27 रकबा 9.5910 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 29 रकबा 21.3674 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 30 रकबा 2.1934 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 31 रकबा 4.8077 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, खसरा नमबर 40 रकबा 0.3076 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.1781 हैक्टयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.0324 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0890 हैक्टयर किस्म गै.मु. खड्डा, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.0162 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.3318 हैक्टयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.0081 गै.मु. टीबा, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.3193 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.5827 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल के भू–अभिलेख में वादी का नाम ***हड़मान पुत्र धूलाराम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'हड़मान पुत्र धूलाराम'*** *के स्थान पर* ***'हनुमान सिंह पुत्र धुला राम'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख़ वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/07/2023 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	5.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	8.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	5.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	[illegible]	0.00
मिजानः–	20.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा वह ही फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 17:59:40 IST
Reason: SelfAttested